(d) what steps Government have taken to prevent misuse of telephone facilities by unscrupulous elements?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) No Sir.

(b) Does not arise in view of (a) above.

(c) The Social Audit Panel has submitted the First Action Report only recently. The report contains the recommendations on the various aspects of the operations of Department of Telecom. The report is under examination of the Department of Telecom.

(d) The following steps have been taken to prevent misuse of telephone facilities;

(a) Patrols by vigilance staff;

(b) Dynamic STD barring

(c) Detailed billing in E to B exchanges

(d) Locking of DP's and other distribution points.

Inter Ministerial Committee on Autonomy for Department of Posts

2756. SHRI GHUFRAN AZAMI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government propose to review the provision of Parliamentary control over postal tariffs and consider greater autonomy for the Department of Posts;

(b) if so, whether an Inter-Ministerial Committee has discussed the same, recently and urged to amend the Indian Post Office Act, 1989; and

(c) if so, what is the reaction of Government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) No, Sir. There is no such proposed before the Government.

(b) No, Sir. A Committee has been ever, been set up by the Ministry of Communications to review the Indian Post Office Act, 1989.

(c) Does not arise now, in view of the reply to (b) above.

उत्तर प्रदेश में टेलेक्स और फैक्स सुविधाएं

2757. **मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी** : क्या **संचार** मंत्री 21 जुलाई, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 1173 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन जिला मुख्यालयों में जिला प्रशासन की टेलेक्स और फैक्स की सुविधायें उपलब्ध कराई गई है ; और

(ख) अगले दो वर्षों की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर इन सुविधाओं को मुहैया कराये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगया नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश के जिन जिला मुख्यालयों में जिला प्रशासन को फैक्स सुविधा उपलब्ध कराई गई है उनके नाम विवरण—1 में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)** जिला मुख्यालयों को टेलेक्स सुविधा प्रदान की जा सकती है और राज्य प्रशासन द्वारा मांग करने पर कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ख) (i) अगले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जिन स्थानों पर एस०टी०डी० शुरू करने से फैक्स सुविधा उपलब्ध हो जाएगी उनके नाम विवरण—2 में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**

(ii) उत्तर प्रदेश सर्किल में अब तो किसी भी स्थान पर मांग किए जाने पर स्थानीय अथवा लंबी दूरी के कनेक्शन के जरिए टेलेक्स सुविधा प्रदान की जा सकती है।

विवरण–1

उत्तर प्रदेश के उन जिला मुख्यालयों के नाम जिनके जिला प्रशासन को फैक्स सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ।

1. लखनऊ
2. आगरा
3. मेरठ
4. बरेली
5. कानपुर
6. इलाहाबाद
7. फैजाबाद
8. मुरादाबाद
9. गोरखपुर
10. कुमाऊं (एन० टी०)
11. गढ़वाल (पौड़ी)
12. वाराणसी
13. झांसी
14. देवरिया
15. पिथौरागढ़
16. चमोली
17. बस्ती
18. मऊ
19. आजमगढ़
20. एटा
21. मिर्जापुर
22. देहरादून
23. खीरी
24. गाजियाबाद
25. फर्रुखाबाद
26. उत्तर काशी
27. इटावा
28. टिहरी
29. अलीगढ़
30. मैनपुरी
31. मथुरा
32. फिरोजाबाद
33. गोंडा
34. बहराइच
35. फतेहपुर
36. प्रतापगढ़
37. बलिया
38. गाजीपुर
39. जौनपुर
40. बिजनौर
41. रामपुर
42. बदायूं
43. पीलीभीत
44. शाहजहांपुर
45. सीतापुर
46. हरिद्वार
47. बुलंदशहर
48. मुजफ्फरनगर
49. बांदा
50. हमीरपुर
51. अलमोड़ा

विवरण–2

वर्ष 1993 और 1994 के दौरान एस० टी० डी० के जरिए जिन स्थानों पर फैक्स सुविधा प्रदान करने की योजना है उनकी सूची :—

I. 1993 के दौरान

1.
2. करणप्रयाग
3. देवप्रयाग
4. धारचूला
5. धिकियासाई
6. नजीबाबाद
7. नगीना
8. ठाकुर द्वारा
9. अमरोहा
10. देहात
11. नाकून
12. बुधाना
13. जनसेठ
14. मवाना

15. इगलास
16. सदाबाद
17. खैरागढ़
18. एतमादपुर
19. जीराना
20. पटियाली
21. जालोसर
22. अलीगंज
23. कनहल
24. बिसौली
25. दातागंज
26. बहावन
27. फरीदपुर
28. नवाबगंज
29. सफीपुर
30. तिलाली
31. घाटमपुर
32. मोस
33. गरौंठा
34. मौरानीपुर
35. तलबाहाट
36. महरौली
37. कल्पाहार
38. चरखनी
39. बबोरू
40. नारायणी
41. मऊ
42. भंगा
43. बीकापुर
44. जलालपुर
45. कराकट
46. मरिहन (जेएनपी)
47. मोहम्मदाबाद
48. चकिया
49. चूनर
50. सथिनिया
51. पलिया कलां
52. नीमसर
53. चित्रकूट
54. चांदपुर
55. किरौली
56. फतेहाबाद
57. गन्नौर
58. बिलग्राम
59. पुरवा
60. हसनगंज
61. बिधूना
62. रसूलाबाद
63. अकबरपुर
64. भोगिनिपुर
65. मोजा
66. तारबगंज
67. रामनगर
68. रुदौली
69. ताम कुहिराज
70. रूद्रपुर
71. बीटेंयापुर
72. रुकलड़ीहा
73. तालगंज
74. मरहौन
75. बाह (जरार)

II. 1994 के दौरान

1. पुरौन
2. भवानी
3. उखामथ
4. थराली
5. मुसियानी
6. सियाना
7. मीरगंज
8. धौराहारी
9. बिलहोरा
10. इटवा
11. निचलाल
12. दूधी
13. प्रतापनगर

14. राजगढ़ी
15. थेलीसीन
16. धुवां कोट
17. कहसबुतौली
18. धारी
19. दारापुर
20. सीराफू
21. मांझनपुर
22. बारा
23. मानपुर
24. बुदनपुर
25. बोरिया

हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिलों में टेलीफोन सुविधाएं

2758. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में जिला मुख्यालयों के अलावा लगभग किसी भी पंचायत में टेलीफोन की सुविधा नहीं है ;

(ख) सरकार वर्ष 1992-93 के दौरान हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चम्बा जिले के भरमौर और पांगी जनजातीय क्षेत्रों की किन-किन पंचायतों को यह सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है; और

(ग) सरकार उपर्युक्त जिलों में से किन-किन जिलों और स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां; 3 पंचायत गांवों (किल्लर, दुर्गाथी और भरमौर) को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के सभी जनजातीय क्षेत्रों को टेलीफोन सुविधा से जोड़ दिया गया है ।

(ख) किन्नौर जिले के उन पंचायत गांवों के नाम निम्नलिखित हैं जहां 92-93 के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है :

(1) पांगी, (2) बारांग और (3) पोवारी अन्य जिलों के पंचायत गांवों को 31 मार्च, 1995 तक उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाएगी, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों ।

(ग) ब्यौरे विवरण में दिये हैं ।

विवरण

टेलीफोन एक्सचेंज जिन्हें 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्थापित करने की योजना है

क्रम संख्या	जिले का नाम	स्थानों के नाम जहां टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव है
1	2	3
1.	किन्नौर	1. निचार 2. पूह 3. सांगला 4. मूरांग 5. योंगथांग 6. रिब्बा 7. भाबा 8. भाबा नगर 9. पुरबनी